

भारत सरकार
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अपने भाग के रूप में या सलाह के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में जनता को भाग लेने की अनुमति है, या क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं

1. प्रशासन - II

क्र. सं.	उपर्युक्त बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों का नाम	क्या इनके कार्यवृत्त जनता को सुलभ हैं (हां/नहीं)
1.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, इस प्रभाग की खरीद मौजूदा नियमों के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जेम के माध्यम से की जाती है। तथापि, स्थानीय क्रय समिति का गठन किया गया है।	नहीं

2. राजभाषा अनुभाग

क्र. सं.	उपर्युक्त बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों का नाम	क्या इनके कार्यवृत्त जनता को सुलभ हैं (हां/नहीं)
1.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति	नहीं